

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2020—वैशाख 25, शक 1942

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती छमा साहू ध. प. श्री कमलेश कुमार, उम्र 32 वर्ष, निवासी-ग्राम व पो.-डुण्डेरा, पुराना बाजार चौक, थाना-उतई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम छमिया साहू था जो कि मेरे समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती छमा साहू रख ली हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब मुझे श्रीमती छमा साहू ध. प. श्री कमलेश कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

#### पुराना नाम

श्रीमती छमिया साहू  
पति-श्री कमलेश कुमार  
निवासी-ग्राम व पो.-डुण्डेरा,  
पुराना बाजार चौक,  
थाना-उतई,  
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

#### नया नाम

श्रीमती छमा साहू  
पति-श्री कमलेश कुमार  
निवासी-ग्राम व पो.-डुण्डेरा,  
पुराना बाजार चौक,  
थाना-उतई,  
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Arwind Kumar Ingawale आत्मज Shri Waman Shankar Ingawale, उम्र 56 वर्ष, निवासी-मकान नं.-65, वार्ड नं.-08, शिवाजी नगर, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे नाम की संपत्ति के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम Ingawale Arvind Vaman व कुछ दस्तावेजों में Arvind Vaman Ingawale तथा कुछ अन्य शासकीय अभिलेखों में Arvind Kumar, A. K. Ingawale, AK Ingawale दर्ज है जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम Arwind Kumar Ingawale आत्मज Shri Waman Shankar Ingawale रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे Arwind Kumar Ingawale आत्मज Shri Waman Shankar Ingawale के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

| पुराना नाम                                                                                                                                                                                                                                | नया नाम                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingawale Arvind Vaman,<br>Arvind Vaman Ingawale,<br>Arvind Kumar,<br>A. K. Ingawale,<br>Ak Ingawale<br>पिता-Shri Waman Shankar Ingawale<br>निवासी-मकान नं.-65,<br>वार्ड नं.-08, शिवाजी नगर,<br>सुपेला, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | Arwind Kumar Ingawale<br>पिता-Shri Waman Shankar Ingawale<br>निवासी-मकान नं.-65,<br>वार्ड नं.-08, शिवाजी नगर,<br>सुपेला, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामेश्वर सिंह ठाकुर आत्मज श्री सुखीराम ठाकुर, उम्र 56 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.- 23/ए, सड़क नं.-32, सेक्टर-10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों, पैनकार्ड, आधार कार्ड में मेरा पूर्ण नाम रामेश्वर सिंह ठाकुर आ. श्री सुखीराम ठाकुर दर्ज है जो कि पूर्ण व सही है किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम रामेश्वर सिंह आ. सुखीराम दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे रामेश्वर सिंह ठाकुर आ. श्री सुखीराम ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

| पुराना नाम                                                                                                                     | नया नाम                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रामेश्वर सिंह<br>पिता-श्री सुखीराम<br>निवासी-क्वा. नं.- 23/ए,<br>सड़क नं.-32,<br>सेक्टर-10, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | रामेश्वर सिंह ठाकुर<br>पिता-श्री सुखीराम ठाकुर<br>निवासी-क्वा. नं.- 23/ए,<br>सड़क नं.-32,<br>सेक्टर-10, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश कुमार उर्वशा आत्मज श्री शिवलाल उर्वशा, उम्र 54 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-ए-2, क्रॉस स्ट्रीट 3, आशीष नगर, पश्चिम भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राजेश कुमार आ. शिवलाल (Shivalal) दर्ज है जिसमें मेरे पिताजी का नाम व स्पेलिंग (वर्तनी) दोनों त्रुटिपूर्ण है। जबकि मेरे पिता का पूर्ण व सही नाम शिवलाल उर्वशा (Shivlal Urwasha) है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “उर्वशा” जोड़कर पूर्ण नाम/उपनाम राजेश कुमार उर्वशा आ. श्री शिवलाल उर्वशा रख लिया हूँ। मेरे परिवर्तित यह पूर्ण नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे राजेश कुमार उर्वशा (Rajesh Kumar Urwasha) आ. श्री शिवलाल (Shivlal Urwasha) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

| पुराना नाम                                                                                                                                                                    | नया नाम                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राजेश कुमार<br>(Rajesh Kumar)<br>पिता-श्री शिवलाल<br>(S/o-Shri Shivalal )<br>निवासी-क्वा. नं.-ए-2,<br>क्रॉस स्ट्रीट-3, आशीष नगर,<br>पश्चिम भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | राजेश कुमार उर्वशा<br>(Rajesh Kumar Urwasha)<br>पिता-श्री शिवलाल उर्वशा<br>(S/o-Shri Shivlal Urwasha)<br>निवासी-क्वा. नं.-ए-2,<br>क्रॉस स्ट्रीट-3, आशीष नगर,<br>पश्चिम भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रेखा साहू ध. प. श्री बुधे लाल, उम्र 34 वर्ष, निवासी-मकान नं.-102, ग्राम-फेकारी, तहसील-पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में तथा मेरे पति के दस्तावेजों में मेरा नाम रेखा दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “साहू” जोड़कर नया नाम/उपनाम श्रीमती रेखा साहू रख ली हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती रेखा साहू ध. प. श्री बुधे लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

| पुराना नाम                                                                                              | नया नाम                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रेखा<br>पति-श्री बुधे लाल<br>निवासी-मकान नं.-102,<br>ग्राम-फेकारी,<br>तहसील-पाटन,<br>जिला-दुर्ग (छ. ग.) | श्रीमती रेखा साहू<br>पति-श्री बुधे लाल<br>निवासी-मकान नं.-102,<br>ग्राम-फेकारी,<br>तहसील-पाटन,<br>जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## विविध

### अन्य सूचनाएं

#### छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)

आदेश संख्या/सी.जी.सी.एस.पी.ई./2020/जनवरी/शासकीय/प्रकाशन/07

दिनांक 10 जनवरी 2020

#### संबद्धता विनियम 2020 सुधार के संबंध में नोटिफिकेशन

विषयांकित पत्र में छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, लोरमी, जिला मुंगेली (छ. ग.) के द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 3 (1) पेज क्रमांक 301 में प्रकाशन दिनांक 25-10-2019 में उल्लेखित बोर्ड/काउंसिल/विवि से समकक्षता/मान्यता प्राप्त है.

छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के द्वारा संबद्धता विनियम 2020 का प्रकाशन किया गया है, काउंसिल द्वारा प्रकाशित उक्त विनियम में सुधार कर संबद्धता विनियम 2020 के स्थान पर संबद्धता नियम 2020 पढ़ा एवं लिखा जावे.

काउंसिल के समस्त दस्तावेजों एवं नियमों जहां जहां संबद्धता विनियम 2020 शब्द आये हो के स्थान पर संबद्धता नियम 2020 प्रतिस्थापित किया जाता है.

डी. पी. जोशी,  
सचिव.